

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 133/2020

अपीलकर्ता पुत्र अस्विनी कुमार शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं0 17, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला

--- अपीलान्त

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी चिडावा एवं एस0डी0एम0, चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. इल्कान पुत्र सलीम खान, जाति न्यारिया मुसलमान, निवासी वार्ड नं0 7 नया, नेहरू बाल मन्दिर के रोड, चिडावा, जिला झुंझुनूं।

--- रेस्पोजेन्ट

अपील अध्याय 17 बी The Rajasthan Municipalities Registration of Electors 1974 खिलाफ आदेश
दिनांक 07.07.2020 निर्वाचन निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नगर पालिका चिडावा एवं
रेस्पोजेन्ट चिडावा बाबत रेस्पोजेन्ट नं0 2 का नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नं0 18 की
संख्या सूची में नाम जोड़ने के विरुद्ध अपील।

उपस्थित

1. मो0 खादिम, एडवोकेट- अपीलांत की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- रेस्पोजेन्ट सं0 1 की ओर से
3. श्री संजय सैनी, एडवोकेट- रेस्पोजेन्ट सं0 2 की ओर से

आदेश

दिनांक 26.10.2020

उक्त विषयक अपील विद्वान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) चिडावा के आदेश
के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्त के अनुसार इस प्रकार है कि अदालत
द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2020 खिलाफ कानून है। रेस्पोजेन्ट नं0 2 वार्ड नं0 7 का मूल
निवासी है एवं वार्ड नं0 17 में निवास नहीं करता है। वार्ड नम्बर 17 में जो फार्म नम्बर 3 नाम जुड़वाने का
किया गया है उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड व राशन कार्ड भी वार्ड नं0 17/7 का है।
किन्तु इसके बावजूद रेस्पोजेन्ट सं0 1 ने बिना दस्तावेजों पर गौर किये रेस्पोजेन्ट सं0 2 के नाम वार्ड नं0
की वोटर लिस्ट में क्रमांक क्रमशः 839 पर जोड़ दिया है। अतः अपील मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है
के अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोजेन्ट सं0 2 का नाम नगरपालिका के वार्ड नं0 17 की
निर्वाचन नामावली 2020 के क्रम संख्या 839 से हटाया जावे।

कलक्टर झुंझुनूं

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की सुनवाई की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्त नगर पालिका चिडावा के वार्ड नं० 17 का मूल निवासी है। अपीलान्त नं० 2 न तो वार्ड नं० 17 में निवास करता है और ना ही वार्ड नं० 17 में इनके कोई दस्तावेज का हुआ है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर रेस्पोंडेंट नं० 2 का नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नं० 17 की निर्वाचन नामावली 2020 के क्रम सं० क्रमशः 839 से नाम हटाया जावे।

रेस्पोंडेंट सं० 2 के वकील ने वकील अपीलान्त के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्त नं० 2 का मकान चिडावा में दो जगह नहीं है। यदि उनका नाम वार्ड नं० 17 से हटाया जाता है तो वह न्यायिक अधिकार से वंचित हो जायेगा। बी०एल०ओ० की रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत ने जो निर्णय किया है वह विधिनुकूल है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर रेस्पोंडेंट सं० 2 का नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 17 की मतदाता सूची में यथावत रखा जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक (वकील रेस्पोंडेंट सं० 1) ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्त के तर्कों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि बी०एल०ओ० की रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत ने जो निर्णय किया है वह विधिनुकूल है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर रेस्पोंडेंट सं० 2 के नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 17 की मतदाता सूची में यथावत रखा जावे।

इसने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपील का निर्णय अपीलान्त के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा०प० दफा 5 मि०अ० स्वीकार किया जाता है। बी०एल०ओ० की रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोंडेंट सं० 2 नगर पालिका चिडावा के वार्ड नं० 17 में ही निवास करता है। अन्य पक्ष न उक्त रेस्पोंडेंट सं० 2 का मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत न्यायिक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस०डी०एम०) चिडावा द्वारा पारित आदेश उचित है। अतः अपील का निर्णय अपीलान्त के आधार पर किया जाकर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जाता है। रेस्पोंडेंट सं० 2 का नाम नगर पालिका चिडावा की वार्ड नं० 17 की मतदाता सूची में यथावत रखा जावे। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर अपीलान्त सुनार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू०डी०खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनू
26/10/2020